कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2595 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 28 अप्रैल, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।
वन अनुभाग–3

विषयः– जनपद–बागेश्वर जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.800 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No.-FP/UK/ROAD/20732/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/173/2020/एफ0सी0/2083 दिनांक 18–09–019।

महोदय,

प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2977/12–1(2) दिनांक 07–02–2022 से वन संरक्षक, उत्तरी कुमांउ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 4084/12–1(2) दिनांक 28–02–2022 से भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का उत्तरालेख ऑफलाईन माध्यम से दिनांक 27–02–2025 को निम्नानुसार प्रेषित की गई थी–

क0सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	As per DSS analysis 1.50 Ha. area out of total 3.60 Ha. area of CA is overlapping with proposal number FP/UK/ROAD/22925/2016, State Government may submit clarification in this regard and select some other area suitable for CA.	प्रस्ताव विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में वन पंचायत नौकोड़ी में 3.60 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नये क्षेत्र का चयन कर संशोधित मैप तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्नक–1)**
2	KML file of the proposed area is not found uploaded. State Govt. may upload the KML file of area proposed for diversion at para C(ii) in part I online.	KML file of area proposed for diversion at para C (ii) in part I में online upload कर दिया गया है।
3	It is seen that some other document found uploaded at para L (iv) in part I instead of ownership proof of CA land at para L (iv) f in part-I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में वन पंचाय नौकोड़ी में 3.60 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नये क्षेत्र का चयन कर संशोधित मैप तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है एवं owenership proof of CA land at para L (iv) f in part-I में अपलोड कर दिया गया है।
4	It is seen that the name of CA scheme, State Govt. may upload CA scheme mentioning the name of CA area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में वन पंचायत नौकोड़ी में 3.60 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नया क्षेत्र चयन कर CA योजना तैयार ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
5	As per the norms of indian road congress 52-2019 row may be kept as 9 m but the tree felling be allowed only in 5.2 , on alignment and 6.1 m on curves/turns. Therefore trees enumerated on the row will not be required to be felled. State Govt. is required to submit enumeration list of trees for 6.1 m width on turns and 5.2 m for test of the alignment.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव 9 मी0 में बनया गया है जबकि पेड़ों की गणना 7 मी0 में की गई है, जिस कारण पातन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मार्ग निर्माण के दौरान कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा।
6	State Govt. May upload a clear and legible copy of the administrative approval muck disposal plan geologist report and tree enumeration list as copy upload is not legible.	administrative approval muck disposal plan geologist report पार्ट I में तथा Tree enumeration list पार्ट II में अपलोड की दी गई है।

इसके पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक 191/FP/UK/ROAD/20732/2016 दिनांक 15–07–2022 से कतिपय बिन्दुओं पर ऑख्या उपलब्ध कराने हेतु वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा को लिखा गया। उक्त की ऑख्या प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2489/12–1(2) दिनांक 10–01–2025 से वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 1913/12–1(2) दिनांक 06–02–2025 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसे संलग्नकों सहित संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2595/12–1 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

2– अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(98)

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ *(05962) 231099 Fax : 230397*

पत्रांक – 1913 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 06.02..2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.80है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– 20732 / 2016)**

सन्दर्भ :– **प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक सं0 191 / FP / UK / ROAD / 20732 / 2016**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर, के पत्रांक– 2489 / 12–1(2) दिनांक– 10.01.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– (उपरोक्तानुसार)।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,अल्मोड़ा।

सां. अ. / प्रभारी बागेश्वर
आ. का. करें।

प्र. व. सं. / नो०
10-2-25

उपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी० सं० 3339
पत्रावली 12-1
दिनांक 17-02-25

प्रतिहस्ताक्षर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249वन मित्र काल सेटरं– 9208008000

पत्रांक 2489/ 124-2 बागेश्वर दिनांक : 10 / 01 / 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – **जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुये लीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.80 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–20732 / 2016)**

सन्दर्भ– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं0 191 / FP/UK/ROAD/20732/2016 देहरादून दिनांक 15.07.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी थी। प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु स0		
1	प्रस्ताव में वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। (पेड़ों की सूची संलग्न)
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। (पेड़ों की सूची संलग्न)
3	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी0 एवं 9 मी0 ROW में अलग–अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में सलग्न करें।	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी0 एवं 9 मी0 ROW में अलग–अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। (पेड़ों की सूची संलग्न)
4	प्रस्ताव में वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। (पेड़ों की सूची संलग्न)
5	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं0 2044 / 1–42(।।।) दिनांक 22.02. 2022 एवं शासन के पत्रांक सं0 290/X-3-22/5(03) 2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट संलग्न है।
6	प्रस्ताव में संलग्न Kml File में मलवा निस्तारण स्थल नहीं दर्शाये गये हैं। मलवा निस्तारण स्थलों को Kml File में दर्शाने का कष्ट करें।	Kml File में मलवा निस्तारण स्थल दर्शा दिये गये हैं तथा ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

7	उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 31.12.2020 में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं का अवलोकन कर सभी बिन्दुओं की परिपूर्ण आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	भारत सरकार के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 31.12.2020 में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं की आख्या आपके कार्यालय पत्रांक सं0 2977/12–1–2 दिनांक 07.02.2022 द्वारा वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त अल्मोड़ा को ऑनलाइन एवं आफलाइन प्रेषित किया गया था। (छायाप्रति संलग्न)।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

PWD UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 1222 / 1230

दिनांक 03/06/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर

विषयः– जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुये लीम तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.80 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(Online No, FP/UK/ROAD/20732/2016)

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं0 191 / FP/UK/ROAD/20732/2016 देहरादून दिनांक 15.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियां लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियॉ	आख्या
1	प्रस्ताव में वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। (पेड़ों की सूची संलग्न)
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। (पेड़ों की सूची संलग्न)
3	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी0 एवं 9 मी0 ROW में अलग–अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में सलग्न करें।	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी0 एवं 9 मी0 ROW में अलग–अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। (पेड़ों की सूची संलग्न)
4	प्रस्ताव में वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। (पेड़ों की सूची संलग्न)
5	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं0 2044 / 1–42(।।।) दिनांक 22.02. 2022 एवं शासन के पत्रांक सं0 290/X-3-22/5(03) 2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित। 4709 11/6/2024

12-6-2

6	प्रस्ताव में संलग्न Kml File में मलवा निस्तारण स्थल नहीं दर्शाये गये हैं। मलवा निस्तारण स्थलों को Kml File में दर्शाने का कष्ट करें।	Kml File में मलवा निस्तारण स्थल दर्शा दिये गये हैं तथा ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
7	उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 31.12.2020 में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं का अवलोकन कर सभी बिन्दुओं की परिपूर्ण आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	भारत सरकार के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 31.12.2020 में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं की आख्या आपके कार्यालय पत्रांक सं0 2977/12-1-2 दिनांक 07.02.2022 द्वारा वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त अल्मोड़ा को ऑनलाइन एवं आफलाइन प्रेषित किया गया था (छायाप्रति संलग्न)।

संलग्न–उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में ।

भवदीय,
03/06/24
(इं0 अमित कुमार पटेल)
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0,कपकोट

पत्रांक /2ई0 दिनांक /05/2024

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता पंचम लो0नि0वि0 कपकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,कपकोट

प्रपत्र– 2.15(4)

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक 3.500 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश (7 मी0 में)

क0 सं0	क्षेत्र का नाम	सामान्य नाम	अंग्रेजी नाम	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग									योग
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
1	सिविल भूमि लीमा	चीड	Pine	Pinus roxburghii	02	01	01	1	01	00	0	0	0	06
1	जसरौली नाप	बाज	Oak	Quercus Leucotrichophora	03	01	00	00	00	00	00	0	0	4
2		चीड	Pine	Pinus roxburghii	00	02	01	0	00	00	0	0	0	03
3		तिमिला	Moraceae	Ficus Roxburghil	4	2	0	0	0	0	0	0	0	06
1	सुनेता नाप	बाज	Oak	Quercus Leucotrichophora	04	02	01	00	00	00	00	0	0	07
2		चीड	Pine	Pinus roxburghii	02	01	02	0	01	00	0	0	0	06
1	पाली डुंगरी सिविल भूमि	आम	Mango	Manifera Indica	0	1	2	-	-	-	-	-	-	03
2		तिमिला	Moraceae	Ficus Roxburghil	3	0	-	-	-	-	-	-	-	03
3		बाज	Oak	Quercus Leucotrichophora	00	02	02	00	00	00	00	0	0	04
4		तुन	Tun	Toona ciliate roem	0	00	00	00	01	00	00	0	0	01
	महायोगः–				**18**	**12**	**09**	**01**	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**	**43**

J.E.

राजस्व विभाग

R.S.I.

वन विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

वन क्षेत्राधिकारी
कपकोट वन क्षेत्र
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

प्रपत्र – 2.15(4)

योजना का नाम :– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुऐ लीमा तक 3.500 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश (9मी0 में)

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	सामान्य नाम	अंग्रेजी नाम	बैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग									योग
					0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	
1	सिविल भूमि लीमा	चीड़	Pine	Pinus Roxburghii	2	2	4	1	1	0	0	0	0	10
2	जसरौली नाप	बांज	Oak	Quercus Leucotrichophora	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6
		चीड़	Pine	Pinus Roxburghii	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
		तिमिला	Moraceae	Ficus Roxburghii	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6
3	सुनेता नाप	बांज	Oak	Quercus Leucotrichophora	4	4	1	0	0	0	0	0	0	9
		चीड़	Pine	Pinus Roxburghii	2	1	4	0	2	0	0	0	0	9
4	पाली डुंगरा सिविल भूमि	आम	Mango	Mangifera indica	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
		तिमिला	Moraceae	Ficus Roxburghii	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		बांज	Oak	Quercus Leucotrichophora	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4
		तुन	Tun	Toona ciliate roem.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				Grand total -	**19**	**17**	**14**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55**

J.E.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

राजस्व विभाग

R.S.I.

वन विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

वन क्षेत्राधिकारी
कपकोट वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249वन मित्र काल सेंटर– 9208008000

पत्रांक 2977 / 124-2 बागेश्वर दिनांक : 07 / 2 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या – 20732/2016)

सन्दर्भ– भारत सरकार का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/173/2020/एफ.सी./2083 दिनांक 31.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु स0		
1	As per DSS analysis 1.50ha area out of total 3.60ha area of CA is overlapping with proposal number FP/UK/ROAD/22925/2016. State Government may submit clarification in this regard and select some other area suitable for CA.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में वन पंचायत नौकोड़ी में 3.60 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नये क्षेत्र का चयन कर संशोधित मैप तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। संलग्न – क्षतिपूरक वृक्षारोपण मैप, उपयोगिता प्रमाण पत्र, सी0ए0 योजना प्राकलन।
2	KML file of the proposed area is not found uploaded. State Govt. may upload the KML file of area proposed for diversion at para C (ii) in part I online.	KML file of area proposed for diversion at para C (ii) in part I online upload कर दिया गया है।
3	It is seen that some other document found uploaded at para L (iv) in part I instead of ownership proof of CA land. State Govt may upload the ownership proof of CA land at para L (iv) f in part-I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में वन पंचायत नौकोड़ी में 3.60 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नये क्षेत्र का चयन कर संशोधित मैप तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। एवं ownership proof of CA land at para L (iv) f in part-I. में अपलोड कर दिया गया है।
4	It is seen that the name of CA scheme. State Govt may upload CA scheme mentioning the name of CA area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में वन पंचायत नौकोड़ी में 3.60 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नया क्षेत्र का चयन कर CA योजना तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
5	As per the norms of Indian road congress 52-2019 row may be kept as 9m but the tree felling be allowed only in 5.2m on alignment and 6.1m on curves/turns. Therefore trees enumerated on the row will not be required to be felled. State Govt. is required to submit enumeration list of trees for 6.1m width on turns and 5.2m for rest of the alignment.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव 9 मी0 में बनाया गया है । जबकि पेड़ों की गणना 7 मी0 में की गयी है, जिस कारण पातन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मार्ग निर्माण के दौरान कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।
6	State Govt may upload a clear and legible copy of the administrative approval muck disposal plan geologist report and tree enumeration list as copy uploaded is not legible	administrative approval muck disposal plan geologist report पार्ट I में and tree enumeration list पार्ट II में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

डिजिटल मानचित्र – जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग का निर्माण
(लम्बाई – 3.500 किमी0)

0 0.5 1 1.5 Km

1 : 50000

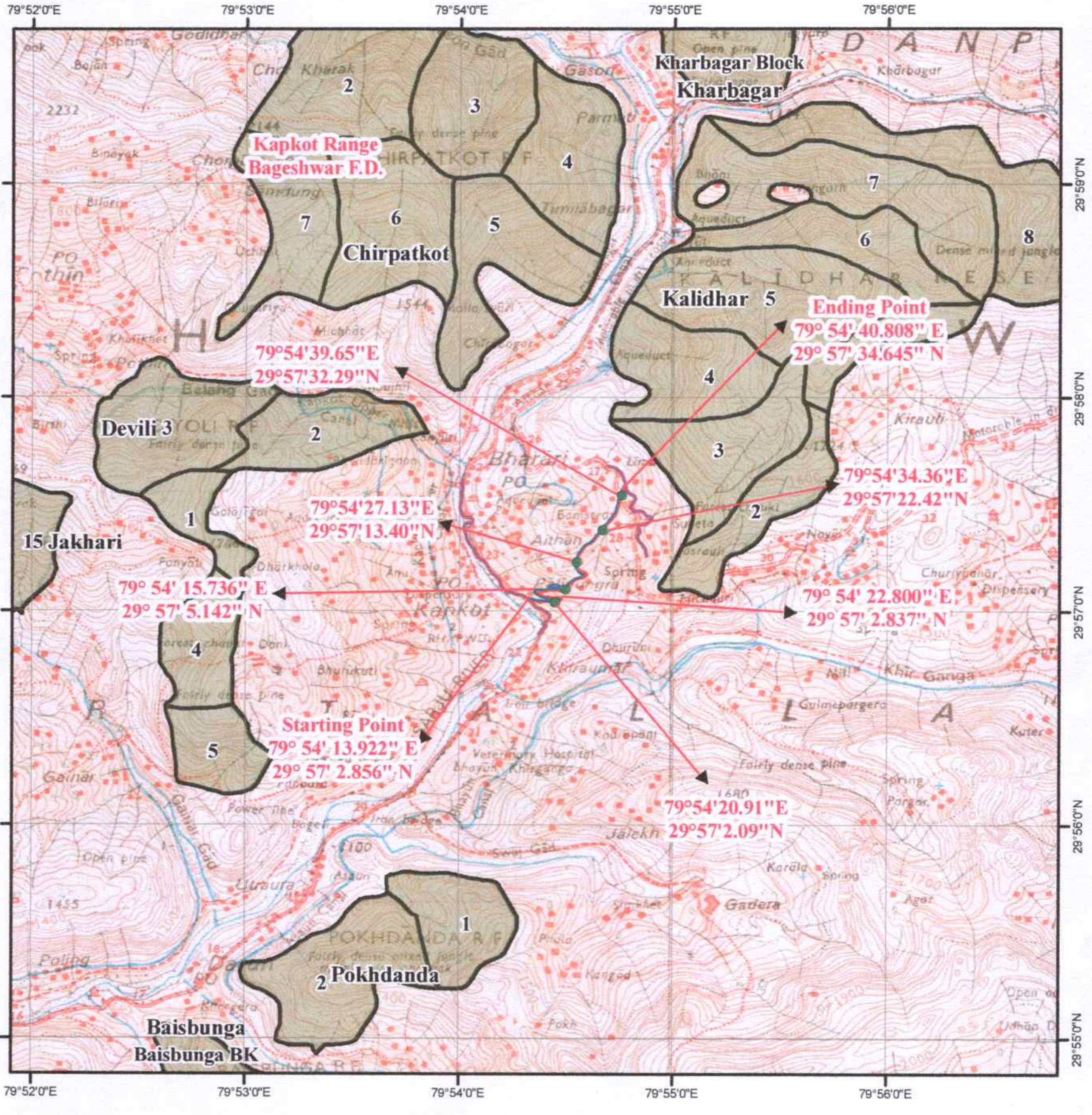

Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate_Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- ForestRange Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

डिजिटल मानचित्र – जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई – 3.500 किमी0)

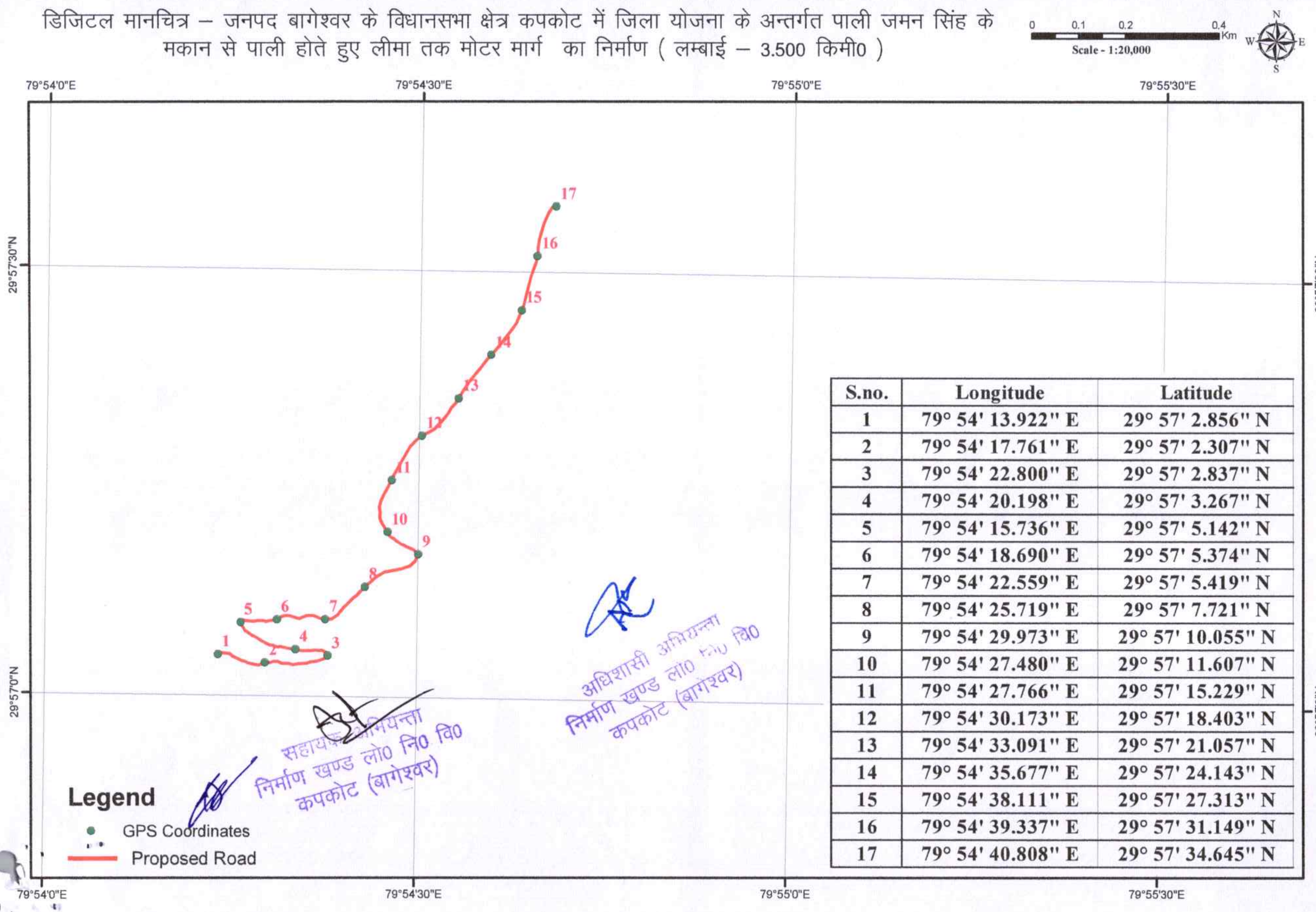

S.no.	Longitude	Latitude
1	79° 54' 13.922" E	29° 57' 2.856" N
2	79° 54' 17.761" E	29° 57' 2.307" N
3	79° 54' 22.800" E	29° 57' 2.837" N
4	79° 54' 20.198" E	29° 57' 3.267" N
5	79° 54' 15.736" E	29° 57' 5.142" N
6	79° 54' 18.690" E	29° 57' 5.374" N
7	79° 54' 22.559" E	29° 57' 5.419" N
8	79° 54' 25.719" E	29° 57' 7.721" N
9	79° 54' 29.973" E	29° 57' 10.055" N
10	79° 54' 27.480" E	29° 57' 11.607" N
11	79° 54' 27.766" E	29° 57' 15.229" N
12	79° 54' 30.173" E	29° 57' 18.403" N
13	79° 54' 33.091" E	29° 57' 21.057" N
14	79° 54' 35.677" E	29° 57' 24.143" N
15	79° 54' 38.111" E	29° 57' 27.313" N
16	79° 54' 39.337" E	29° 57' 31.149" N
17	79° 54' 40.808" E	29° 57' 34.645" N

WEB-GIS BASED DECISION SUPPORT SYSTEM RESULT

Proposal n u m b e r- FP/UK/ROAD/20732/2016

Name of Proposal: Construction of Pale Jamn Singh to Pale Lime Motor Road in Kapkot Block Under Distt Sector(Length 3.500Km).

Location - Uttarakhand

District- BAGESHWAR

DSS analysis of Compensatory afforestation land

Area of total Compensatory afforestation land: **3.60 hectare**
Area of total Compensatory afforestation land calculated from DSS: **3.60 hectare**

Decision Rule-1

Layer information	Details	Results /Remarks
Hydrological info (Major River, Wetland)	N/A	Not inviolate
VDF	**Yes**	The polygon is having a VDF of more than 1 sq. km area
Last Remnants FTM	N/A	Not inviolate
Protected Area info	N/A	Not inviolate
Wildlife Info	N/A	Not inviolate

Decision Rule-2 result table:

A. Forest Cover Map Statistics (Software Calculated):

SI No.	Patch No./Name	Area Software Calculated (Hectare)	VDF (Hectare)	MDF (Hectare)	Open Forest (Hectare)	Non-Forest (Hectare)	Scrub Forest (Hectare)
1	Patch 1	3.60	0	0	0	3	0
Total		**3.60**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**

B. Forest Type Map Statistics of total 1 patch (Software Calculated):

SI. No	Forest Type	Area in Hectare (Approx.)
1	Non- Forest	3

वन क्षेत्राधिकारी
ग्लेशियर वन क्षेत्र
कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

C. Biological Richness of total 1 patch (Software Calculated):

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Sl No.	Class	Area in Hectare (Approx.)
1	Very High	0
2	High	0
3	Medium	3
4	Low	0
	Non-Forest	0

Output Map of DSS analysis is given below.

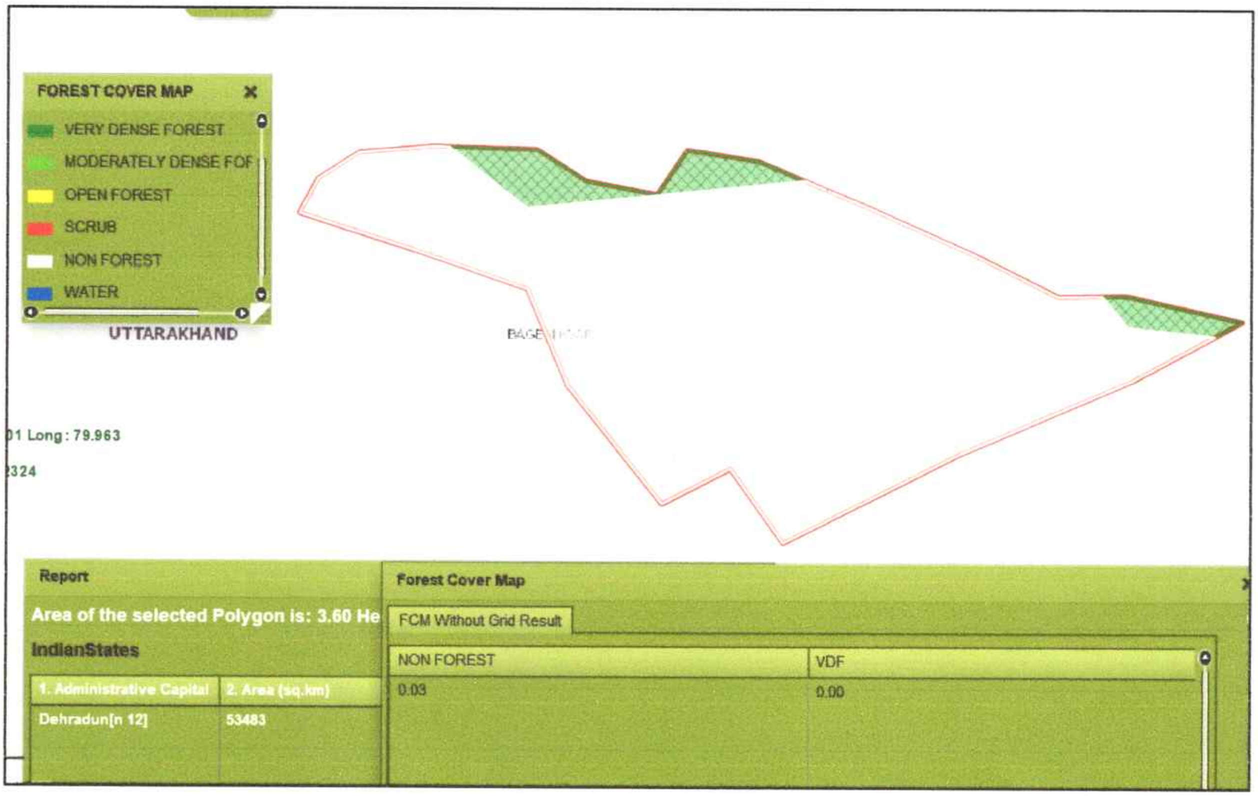

CA Land Map

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

वन क्षेत्राधिकारी
ग्लोशयर वन क्षेत्र
कपकोट